ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 231-232
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

महिला सशक्तिकरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना की भूमिका का मूल्यांकन

दिनेश कुमार मौर्य
शोध अध्येता, एम.ए.– समाजशास्त्र विभाग, यू.जी.सी. (नेट),1 राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0) भारत

Received-02.06.2023, Revised-08.06.2023, Accepted-12.06.2023 E-mail: dineshphd2012@gmail.com

सारांशः ***महिलाएं हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग है और विकास के कार्यों में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक स्त्रियों की दशा में अनेकों परिवर्तन होते रहे हैं। आज हमें जो स्थिति स्त्रियों के प्रति देखने को मिलती है वह भिन्न–भिन्न चरणों से होकर गुजरी है, अर्थात व्यावहारिक तौर पर भारत में स्त्रियों की स्थिति में भारी उतार–चढ़ाव आते रहे हैं। मानव की उत्पत्ति और उनके विकास का यह सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि पुरुषों ने स्त्रियों की कोमलता का बहुत ही गलत फायदा उठाया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रत्येक सभ्यता में पुरुषों ने ऐसे समाज को विकसित किया है, जिसमें स्त्रियों को घर के चहारदीवारीयों के भीतर ही रहने को विवश किया गया है, परंतु आज महिलाएं जागरूक हो गई हैं और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने को तैयार हैं।***

कुंजीभूत शब्द– सहभागिता व्यवसाय, व्यावहारिक, उतार–चढ़ाव, कोमलता, प्राचीन काल, सभ्यता, महिला सशक्तिकरण, विश्वसम्मेलन।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न गतिविधियों ने महिला सशक्तिकरण को विशेष आयाम प्रदान किया तथा इस मार्ग में विश्व सम्मेलन क्रमशः मेक्सिको, कोपनहेगन, नैरोबी तथा बीजिंग महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुए इन सम्मेलनों ने प्रतिपादन किया कि महिलाओं से संबद्ध मुद्दें सार्वभौमिक तथा वैश्विक विषय है।[1]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यूएनडीपी प्रारंभ किया गया। यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया जाता है। मानव महत्व पर ध्यान केंद्रित करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है।[2] यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट ने व्यक्ति की विशेष रुप से महिलाओं को विकास के केंद्र में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पहली बार लिंग आधारित विकास पर बल दिया। मानव् विकास सूचकांक के अंतर्गत प्रथम बार महिला सशक्तिकरण मापक निर्धारित किया गया। महिला सशक्तिकरण सूचकांक में महिला राजनीतिक जीवन में सहभागिता व्यवसाय में उनके स्तर और आय को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की आर्थिक व राजनीतिक जीवन में भागीदारी निभाने में समर्थ होना माना गया, जिसके द्वारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में लिंग समानता का मापन किया जाता है।[3]

देश के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान की शुरुआत की इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा था कि बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव खत्म करना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या समाप्त करना इसके लिए जरुरी है उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा जान बचाने के लिए है,ना कि मारने के लिए है। इस योजना से लोगों में काफी जागरुकता बेटियों के प्रति बढ़ी है तथा इस योजना से महिला सशक्तिकरण वृद्धि हुई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय संविधान में निम्न व्यवस्था की गई है–

1– अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसरों की समानता प्रदान की गई है।
2– अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग के आधार भेदभाव वर्जित किया गया है।
3– अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बलात, बेगार, दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
4– अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक व बालिकाओं के कार्य नियोजन प्रतिबंध लगाया गया है।
5– अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम के न्याय संगत, मानवोचित दशाओं का निर्माण करना, प्रसूति काल में सहायता उपलब्ध कराना है।
6– अनुछेद 47 के अंतर्गत स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार लाना है।
7– अनुछेद 51 क (5) अंतर्गत महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जारी प्रथाओं को त्यागने, समरसता व मातृत्व की भावना का विकास करना है।
8– अनुच्छेद 243 घ (2) के अंतर्गत पंचायतों व नगरीय, स्थानीय संस्थाओं में विभिन्न वर्गों को महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।
9– अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का समावेश किया गया है।
10– अनुच्छेद 325 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है।

उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए निम्न अधिनियम लाए गए हैं–

1– विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856,
2– बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925,
3– शारदा एक्ट 1929,
4– हिंदू विवाह अधिनियम 1955,
5– वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956,
6– हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955,
7– दहेज निषेध अधिनियम 1961 व संशोधित अधिनियम 2012,
8– भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969,

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

9– भारती तलाक संशोधन अधिनियम 2000,

10– घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005,

11– महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिबंध व निवारण विधेयक 2012,

12– महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक 2013।

उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाएं एवं अधिनियम महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी पहल है महिला सशक्तिकरण हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बालिका विकास व संरक्षण की ओर जन–जन का ध्यान आकर्षित करने व जागरूकता लाने के उद्देश्य हेतु बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना की पहल बहुत ही अच्छी है।

निष्कर्ष– भारतीय संविधान न केवल महिलाओं को समानता का मूल अधिकार प्रदान करता है, अपितु उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों अलाभकारी स्थितियों का उन्मूलन करने का उपाय करने के लिए राज्यों को निर्देशित भी करता है। इन संवैधानिक उपायों से देश में महिलाओं के प्रति जो कुप्रथाएं थी, उनमें कमी आई है कुप्रथाओं का संविधान के माध्यम से अंत कर दिया गया है। महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत हुई है, इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भूमिका महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजस्थान पत्रिका, 28 सितंबर,2004, पृष्ठ 10.
2. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000,यूएनडीपी आक्सफोर्ड यू प्रेस–न्यूयॉर्क।
3. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000, नोट– 43.
4. डॉ रोहनलाल आर्य,महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सोच,शिवांक प्रकाशन, दिल्ली, 2021,पृष्ठ 24.

*****